# फर्द अहकाम

## (नियम–26)

## अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

**स्व. भारतसिंह के का.मु. चंदनसिंह वगैरह बनाम हनवंतसिंह वगैरह**

किस्म मुकदमा 225 मुकदमा नंबर 05 सन 21

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01.02.2021 | यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर बागोडा द्वारा मुकदमा संख्या 03/2021 में पारित आदेश दिनांक 14.01.2021 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। बाद जांच अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।<br><br>वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात सरहद मौजा नरसाणा तहसील बागोडा के खसरा नंबर 1019, 1020,1021, 1022, 1023, 1036, 1037, 1038, 1045, 1046, 1091, 1092, 1201, 1202, 1203, 1206, 1207, 24, 25, 26, 27, 276, 28, 29, 30, 31, 326, 327, 328, 41, 42, 43, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 707, 838, 878, 879, 880, 91, 92, 561, 562, 563, 564, 585/1734, 612, 613, 614, 615, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702; 703, 579, 580, 581, 582, 587, 588, 918, 1345, 1346, 1347, 1603, 1604, 1605, 1606 के संबध में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित किया है, जबकि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगणो के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया गया था। वादग्रस्त आराजी के संबंध में मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगणो को अगर पाबंद नहीं किया जाता है तो इससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत वादग्रस्त आराजीयात पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगणो को पाबंद किया जावे।<br><br>वकील अपीलांट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात सरहद मौजा नरसाणा तहसील बागोडा के खसरा नंबर 1019, 1020,1021, 1022, 1023, 1036, 1037, 1038, 1045, 1046, 1091, 1092, 1201, 1202, 1203, 1206, 1207, 24, 25, 26, 27, 276, 28, 29, 30, 31, 326, 327, 328, 41, 42, 43, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 707, 838, 878, 879, 880, 91, 92, 561, 562, 563, 564, 585/1734, 612, 613, 614, 615, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 579, 580, 581, 582, 587, 588, 918, 1345, 1346, 1347, 1603, 1604, 1605, 1606 के | |

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

संबध में प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये जाने का आदेश पारित कर आगामी पेशी दिनांक 12.02.2021 नियत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका का अवलोकन करने से यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये जाकर आगामी पेशी दिनांक 12.02.2021 नियत की गई है। उक्त आदेश पूर्ण आदेश की परिभाषा मे नहीं आता है, जिससे उक्त अपील पोषणीय न होने से चलने योग्य नहीं है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील पोषणीय न होने से खारिज की जाती है। किन्तु प्रकरण में यह भी निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजीयात के संबध में मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है, उक्त वाद में वादग्रस्त आराजीयात के संबध में हक–हकुक तय होगे। अगर उक्त वाद के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजी के मौके व राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो इससे निश्चय ही वाद बाहुल्यता बढेगी एवं साथ ही मूल वाद का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। अत प्रकरण में इन परिस्थितियो को मद्देनजर रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा नरसाणा तहसील बागोडा के खसरा नंबर 1019, 1020,1021, 1022, 1023, 1036, 1037, 1038, 1045, 1046, 1091, 1092, 1201, 1202, 1203, 1206, 1207, 24, 25, 26, 27, 276, 28, 29, 30, 31, 326, 327, 328, 41, 42, 43, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 707, 838, 878, 879, 880, 91, 92, 561, 562, 563, 564, 585/1734, 612, 613, 614, 615, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 579, 580, 581, 582, 587, 588, 918, 1345, 1346, 1347, 1603, 1604, 1605, 1606 पर मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति मूल वाद के अंतिम निर्णय तक बनाये रखे। किसी प्रकार का हस्तानांतरण किसी अन्य का न करे एंव न ही किसी अन्य से करावे। किसी प्रकार का निर्माण कार्य न करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली